विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित डॉ0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-07 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
7 (क) क्या वन मंत्री बतायेंगे कि देवेन्द्र प्रताप सिंह, तत्कालीन सभापति/वित्तीय एवं प्रशासकीय विलम्ब समिति, विधान परिषद, उ0प्र0 का मुख्यमंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 10 अगस्त, 2022 जो कि वन विभाग के कार्मिकों को नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में था, प्राप्त हुआ था?	जी हॉ।
(ख) यदि हॉ, तो उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दु क्या-क्या थे?	मा0 सभापति द्वारा श्रीनाथ तिवारी, पुत्र रामबचन तिवारी, निवासी-पोर्टरगंज-पोस्ट -पथवलिया, जिला-गोण्डा, के प्रार्थना पत्र में इंगित परेशानियों एवं मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में प्रस्तुत याचिका संख्या-6927/2013 श्रीनाथ तिवारी प्रति स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2022 के आदेशानुसार कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया था।
(ग) क्या पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के आधार पर सम्बन्धितों को नियुक्ति प्रदान करा दी गयी है?	जी नहीं, विभागीय गठित चयन समिति द्वारा श्रीनाथ तिवारी अपात्र पाये गये।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	रिट याचिका संख्या-6927/2022 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.2022 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, बल्कि श्रीनाथ तिवारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-6927/2013 में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2019 को आदेश पारित किया गया था, जिसके समादर में प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा द्वारा विभागीय चयन समिति का गठन किया गया। चयन समिति द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 21.12.2001 को प्रख्यापित समूह 'घ' विनियमितीकरण नियमावली 2001, के अन्तर्गत अपात्र पाये गये, जिस कारण इनकी नियुक्ति नहीं की गई। तत्पश्चात् प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा के पत्रांक-400/10-1 दिनांक 25.07.2019 द्वारा आदेश पारित करते हुए श्रीनाथ तिवारी को सूचित किया गया है। पुनः श्रीनाथ तिवारी द्वारा अवमानना वाद संख्या-2286/2019 श्रीनाथ तिवारी बनाम श्री अशोक कुमार शुक्ला योजित किया, जिसे मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2023 द्वारा खारिज कर दिया गया है।

डा0 अरूण कुमार
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
विभाग, उ0प्र0।